निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण 1941 (श0)

(सं0 पटना 930) पटना, बुधवार, 7 अगस्त 2019

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

7 अगस्त 2019

सं0 8/ब2–10–16/2019–6455/गृ0आ0**—**भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–55 सह–पठित धारा–97 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (समय–समय पर यथा संशोधित) में तुरन्त के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त हस्तक में–

1. नियम–655 (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"(क) मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा।"

2. नियम–658 के उपनियम (V) में, पुरूष अभ्यर्थियों के लिए एक मील दौड़ के लिए समय सीमा **"छः मिनट"** को **"छः मिनट तीस सेकेण्ड"** द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। छः मिनट तीस सेकेण्ड से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थी असफल घोषित किये जायेंगे।

3. नियम–658 के उपनियम (V)(ग) में प्रथम वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य अन्तःस्थापित किया जायेगा:–"अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई न्यूनतम 155 से0मी0 होनी चाहिए।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

7 अगस्त 2019

सं0 8/ब2–10–16/2019–6456/गृ0आ0,एतद् द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं0–6455, दिनांक 7 अगस्त 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत–संविधान के अनुछेद–348 के खण्ड–(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

The 7th August 2019

No.8/B2-10-16/2019-6455/H.P. —In exercise of powers conferred under the proviso to Artical 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 97 of Bihar Police Act, 2007 the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the Bihar Police Manual, 1978 (as amended from time to time) with immediate effect-

Amendments

In the Manual -

1. Rule 655 A shall be substituted by following :-
"(a) For preparation of final merit list according to the main examination the minimum qualifying marks for the candidates of Scheduled Castes/Scheduled tribes and Women shall be 32%, for the candidates of Extremely Backward category 34%, for the candidates of Backward category 36.5% and for the candidates of General category 40%.
2. In Sub-Rule (v) of Rule 658 **"within 6 minutes"** time limit for one mile run for male candidates shall be substituted by **"within 6 minutes 30 seconds"** Male candidates, taking more than six minutes thirty seconds shall be declared unsuccessful.
3. After first sentence of Sub-Rule (v) (c) of Rule 658 following sentence shall be inserted-
"For women candidates of Scheduled Casts/Scheduled Tribes Minimum height shall be 155 cm."

By order of the Governor of Bihar,
RANJAN KUMAR SINHA,
Additional Secretary to Goverment.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 930-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in